# न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
# (नीलाम पत्र शाखा)

**वाद संख्या 06/08–09, टी0आर0 न0 124/20–21**

**कार्यपालक अभियंता, लोहरदगा – अधियाची विभाग**
**बनाम**
**ओमप्रकाश वर्मा, पिता–शिवकुमार वर्मा, ग्राम–लोहरदगा। देनदार**

**अभिलेख उपस्थापित।**

**<u>आदेश</u>**

1ul6/21

यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, लोहरदगा द्वारा बिजली विपत्र बिल राशि भुगतान नही करने के विरूद्ध श्री ओमप्रकाश वर्मा, पिता–शिवकुमार वर्मा, ग्राम–नदिया स्कुल रोड़, लोहरदगा पर 27320 इस पर नीलाम पत्र वसूली हेतु धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 27.03.0 को दायर किया गया है।

नीलाम पत्र वाद दायर करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा 08.07.2008, 19.01.13 को धारा 7 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया। जिसका तामिला प्रतिवेदन लिखा गया कि ओमप्रकाश वर्मा देनदार के दिये गये पते पर नहीं मिला। तत्पश्चात दिनांक 77/13.07.16, पत्रांक 131, दिनांक 16.12.16, 154, दिनांक 30.12.16 को अधियाची विभाग की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। तब 18.7.17 को पत्रांक 27/18.01.17 द्वारा वॉड़ी वारंट निर्गत किया गया वॉड़ी वारंट के तामिला थाना प्रभारी, लोहरदगा के द्वारा दिनांक 10.02.17 के द्वारा लिखित रूप से स्पष्ट किया गया कि देनदार की मृत्यु प्रमाण पत्र नगर सेवा सदन राँची द्वारा निर्गत पत्र संलग्न कर सूचित किया है कि देनदार की मृत्यु 16.09.10 को हो गई है। उसके बाद भी कार्यालय पत्रांक 94, दिनांक 13.12.17, पत्रांक 63, दिनांक 07.03.18 द्वारा नोटिस भेजा गया। पुनः वॉड़ी वारंट 111, दिनांक 12.05.00 को निर्गत कर तामिला प्रतिवेदन थाना प्रभारी, लोहरदगा द्वारा देनदार की मृत्यु की सूचना दी गई।

थाना प्रभारी, लोहरदगा के देनदार की मृत्यु सूचना प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय पत्रांक 136, दिनांक 20.07.18 के द्वारा अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, लोहरदगा को मृत देनदार के उत्तराधिकारी नामित करते हुए स्पष्ट पता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

पुनः कार्यालय द्वारा पत्रांक 87, दिनांक 24.12.20, पत्रांक 89, दिनांक 2.02.2021 एवं पत्रांक 222, दिनांक 24.03.2021 द्वारा स्मारित किया गया। स्मारित करने के बावजूद कार्यपालक अभियंता, लोहरदगा द्वारा को अनुपालन नहीं किया गया और न किसी तरह की कोई रूची लिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अधियाची विभाग को कोई रूची नहीं है।

अतः उपरोक्त स्थिति में वाद को पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 53 (2) के अन्तर्गत वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधियाची विभाग को भी दें।

सत्यापित / लेखांकित

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.26 19:12:55 +05:30
Location: 10.93.49.26